डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक:– COE/391/2017
दिनांक:– 16/06/2017

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय वार्षिक परीक्षा 2017 के सफल संचालन हेतु पूर्व निर्धारित 14 नोडल केन्द्रों के साथ 28 राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों को भी नोडल केन्द्र (कुल 42 नोडल केन्द्र) बनाये जाने फलस्वरूप दिनांक 07.04.2017 की द्वितीय पाली से नोडल केन्द्रों पर वाहनो को किराये पर लगाने एवं उनकी दर के सम्बन्ध में कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 23.05.2017 के कम में निम्न प्रकार वाहन की उपलब्धता अनुमन्य की जाती है:–

1. परीक्षा नोडल केन्द्रों के ऐसे रूट जिन पर वाहन आने–जाने में 3 से 4 घंटे लगेंगे वे सुबह एवं सांयकाल की पाली के प्रश्न पत्र नोडल से सम्बद्ध महाविद्यालयों को उपलब्ध करायेगें। सुबह के प्रश्न पत्र 45 मिनट से 1 घंटे परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व प्राप्त कराये जाये।
2. दूसरी पाली के प्रश्न पत्र को दूसरे वाहन से इस प्रकार भेजा जाये कि प्रश्न पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने के 45 मिनट से 01 घंटा पहले प्राप्त हो सके।
3. बिन्दु (01) के अन्तर्गत सुबह की पाली का वाहन वापस आ जाये तो उसी वाहन से सांयकाल (तृतीय पाली) की पाली के प्रश्नपत्र भेजा जाये। इस प्रकार केवल एक वाहन से दो पालियों (प्रथम एवं तृतीय पाली) तथा दूसरे वाहन से द्वितीय/दोपहर की पाली में प्रश्न पत्र प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. तीसरी मीटिंग अर्थात सायंकाल की पाली के लिये दूसरा वाहन प्रश्न पत्र के बण्डल परीक्षा केन्द्रों को परीक्षा के 45 मिनट से 1 घंटे पूर्व तक प्राप्त करायगें ओर वापसी में उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल को समस्त परीक्षा केन्द्रो से प्राप्त कर अपने नोडल केन्द्र को समयान्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. जो वाहन केवल एक चक्कर जाने और आने में लगायेगा उसे रू 1600/– (एक हजार छः सौ मात्र) भुगतान किया जायेगा।
6. इस प्रकार जो वाहन दो चक्कर सुबह एवं सांयकाल की पाली हेतु उपयोग किया जायेगा उस पर पूर्व की भाँति कर्मचारी तैनात करने होगे किन्तु उनका किराया रू 2000/–(दो हजार मात्र) एवं नाईट चार्ज रू 200/– (दो सौ मात्र) अनुमन्य किया जायेगा तथा 01 तृतीय एवं 01 चतुर्थ श्रेणी के कार्मिक अतिरिक्त रूप से देय होगा
7. कर्मचारियों के इस प्रकार परिवर्तित एवं बदल कर तैनात किया जायेगा कि पहले दिन एक चक्कर कार्य करने वाला कार्मिक अगले दिन दो चक्कर लगायेगा और इसी प्रकार अगले दिन वहीं कर्मचारी एक चक्कर लगायेगा इस प्रकार कर्मचारियों पर अधिक कार्यभार नहीं आयेगा।
8. पूरा प्रयास किया जाये कि एक ही एजेन्सी से वाहन किराये पर लिया जाये जिससे एजेन्सी उपरोक्तानुसार वाहन उपलब्ध कराने के लिये तैयार हो सके।
9. ऐसे नोडल केन्द्र जिनके रूट का आना जाना 200 कि०मी० से अधिक है उन्हे प्रत्येक पाली में रू 1600/– (एक हजार छः सौ मात्र) अनुमन्य किया जायेगा किन्तु उन्हें प्रत्येक पाली की उत्तरपुस्तिकायें लोटते समय प्राप्त कर नोडल केन्द्र पर उपलब्ध कराना होगा।
10. माननीय कुलपति जी ने अपने आदेश दिनांक 08.06.2017 द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृति प्रदान की है कि प्रत्येक रूट पर अधिक से अधिक संख्या में परीक्षा केन्द्र कवर करें एवं इस तथ्य/बात की बिल्कुल सम्भावना न रहे कि दूसरे रूट पर स्थित परीक्षा केन्द्र को भी समीपस्थ रूट वाले से जोड़ा जा सकता था और वाहन एवं उस पर आने वाले व्यय की बचत की जा सकती थी।

(कैलाश नाथ सिंह)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :–

1. वित्त अधिकारी।
2. अधीक्षक कुलपति कार्यालय को कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रभारी/समन्वयक, समस्त नोडल केन्द्र।
4. एजेन्सी को इस निर्देश के साथ कि समस्त नोडल केन्दों की लागइन आई०डी० एवं विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
5. गार्ड फाइल।

परीक्षा नियंत्रक